अति महत्वपूर्ण

संख्या- 63/सैतालीस-का-5-2024-(1788429)

प्रेषक,

डॉ० देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ०प्र० शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, उ०प्र०।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्र०।
4. समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।

कार्मिक अनुभाग-5 **लखनऊः 24/02/2024**

विषयः-समूह 'क' एवं 'ख' श्रेणी के अधिकारियों की वार्षिक प्रविष्टि मानव सम्पदा पोर्टल पर ऑनलाइन दाखिल किए जाने की व्यवस्था के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-07/2023/293/सामान्य/सैतालीस-का-4-2023 दिनांक 03 अगस्त, 2023 द्वारा राज्य कर्मचारियों का सेवा विवरण अद्यतन किया जाना (नियुक्ति, कार्यभार ग्रहण, कार्यमुक्ति, अवकाश प्रबन्धन आदि) मेरिट वेस्ड ऑनलाइन ट्रांसफर, वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट (ए०पी०आर०) प्रबन्धन, वेतन आहरण, सेवा पुस्तिका प्रबन्धन आदि से संबंधित समस्त कार्य मानव सम्पदा पोर्टल के माध्यम से सम्पादित किये जाने के आदेश निर्गत किये गये है। इसी क्रम में शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि समूह 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों की वार्षिक प्रविष्टियों का कार्य वर्ष 2023-2024 से अनिवार्य रूप से पोर्टल के माध्यम से ही किया जाएगा। इस संबंध में अपर मुख य सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-1048/चौतीस-लो०शि०-5/2023, दिनांक 31.10.2023 द्वारा मानव सम्पदा पोर्टल के संबंध में निर्गत निर्देशों में भी यह अपेक्षा की गयी है कि वर्ष 2023-24 की वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट (ए०पी०आर०) मानव सम्पदा पोर्टल के माध्यम से ही ऑनलाइन दाखिल की जाए।

2- उल्लेखनीय है कि राज्याधीन सेवाओं के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि अंकित किये जाने के संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये है, जिनमें सम्बन्धित कार्मिक द्वारा स्वमूल्यांकन आख्या उपलब्ध कराने तथा प्रतिवेदक / समीक्षक / स्वीकर्ता प्राधिकारी द्वारा अपना मन्तव्य अंकित किये जाने के संबंध में स्पष्ट व्यवस्था दी

गयी है। प्रतिकूल प्रविष्टि के विरुद्ध संबंधित कार्मिक द्वारा प्रत्यावेदन दिये जाने तथा उक्त प्रत्यावेदन का निस्तारण किये जाने के संबंध में भी स्पष्ट व्यवस्था उपरोक्त शासनादेशों में दी गयी है।

3- यह भी उल्लेखनीय है कि राज्याधीन सेवाओं में सृजित / उपलब्ध पदों को भरने हेतु 'मैरिट' आधारित चयनों में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया संबंधी शासनादेश संख्या-04/2019/13(02)2007/का-1-2019, दिनांक 27 सितम्बर, 2019 तथा 'ज्येष्ठता' आधारित चयनों में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया संबंधी शासनादेश संख्या-04/2022/13(4)2021/का-1-2022, दिनांक 06 मई, 2022 में चयन हेतु वांछित गोपनीय प्रविष्टियों के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश दिये गये हैं।

4- उत्तर प्रदेश राज्य की सेवा में कार्यरत समूह 'क' एवं 'ख' श्रेणी के समस्त अधिकारियों की वर्ष 2022-23 से वार्षिक प्रविष्टि (ACR) मानव सम्पदा पोर्टल यू०आर०एल० ehrms.upsdc.gov.in पर आनलाइन दाखिल किये जाने के संबंध में कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या 02/2023/181/47-का-2-2023-36/1/76 दिनांक 12.06.2023 द्वारा दिशा-निर्देश भी निर्गत किये गये है।

5- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्याधीन सेवाओं के समूह 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि अंकित किये जाने के संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों में सम्बन्धित कार्मिक द्वारा स्वमूल्यांकन आख्या उपलब्ध कराने तथा प्रतिवेदक / समीक्षक / स्वीकर्ता प्राधिकारी द्वारा अपना मन्तव्य अंकित किये जाने तथा प्रतिकूल प्रविष्टि के विरुद्ध संबंधित कार्मिक द्वारा प्रत्यावेदन दिये जाने एवं उक्त प्रत्यावेदन का निस्तारण किये जाने के संबंध में निर्धारित तिथि / समयावधि संबंधी व्यवस्था तथा कार्मिक विभाग के उक्त शासनादेश दिनांक 12.06.2023 को अवक्रमित करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य की सेवा में कार्यरत समूह 'क' एवं 'ख' श्रेणी के समस्त अधिकारियों की वर्ष 2023-24 से वार्षिक प्रविष्टि (ACR) मानव सम्पदा पोर्टल यू०आर०एल० ehrms.upsdc.gov.in पर आनलाइन दाखिल किये जाने का निर्णय निम्नवत् लिया गया है:-

(1) आलोच्य वर्ष 2023-24 की वार्षिक प्रविष्टियॉं Online लिखे जाने हेतु प्रत्येक स्तर पर प्रस्तावित Time line निम्नवत निर्धारित होगी:-

(I) Work flow दिनांक 30 अप्रैल, 2024 तक जेनरेट कर दिया जाए।

(II) समूह 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों द्वारा स्वमूल्यांकन आख्या दिनांक 30 जून तक मानव सम्पदा पोर्टल पर उपलब्ध करायी जाएगी।

(III) प्रतिवेदक, समीक्षक तथा स्वीकर्ता प्राधिकारी क्रमशः 31 अगस्त, 31 अक्टूबर तथा 31 दिसंबर तक अपना-अपना मन्तव्य अंकित करेंगे।

(IV) वार्षिक प्रवृष्टियों का Disclosure दिनांक 31 दिसम्बर तक रहेगा।

(V) वार्षिक प्रवृष्टियों के विरुद्ध प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने की तिथि 15 फरवरी तक रहेगी।

(VI) वार्षिक प्रविष्टियों के विरुद्ध प्रत्यावेदन निस्तारित करने की तिथि 31 मार्च तक होगी।

(2) संबंधित अधिकारियों के Signature हेतु e-sign / Digital Signature तथा Mobile से OTP आधारित व्यवस्था अपनाई जायेगी।

(3) आलोच्य वर्ष 2023-24 में वार्षिक प्रविष्टियों को Auto Forward किए जाने की व्यवस्था नहीं होगी, किन्तु दिनांक 31 दिसम्बर के बाद स्वमूल्यांकन आख्या तथा प्रतिवेदक, समीक्षक तथा स्वीकर्ता प्राधिकारी द्वारा मन्तव्य अंकन की व्यवस्था कालबाधित (Closed) हो जाएगी। वर्ष 2024-25 से प्रविष्टियों के अंकन में Auto Forward की व्यवस्था स्वतः लागू हो जाएगी अर्थात् निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत क्रमशः स्वमूल्यांकन आख्या / प्रतिवेदक / समीक्षक / स्वीकर्ता मन्तव्य अंकित न करने पर प्रश्नगत प्रक्रिया अगले स्तर हेतु स्वतः अग्रेनित (Auto Forward) हो जाएगी और संबंधित अधिकारी को अपनी प्रक्रिया पूर्ण करने / मन्तव्य अंकित करने का अवसर स्वतः समाप्त हो जाएगा।

(4) वर्ष 2023-24 की प्रविष्टियों के आनलाइन अंकन हेतु मानव सम्पदा पोर्टल दिनांक 01 मई, 2024 से Operational हो जाएगा अतः समस्त विभाग आवश्यक तैयारियां 01 मई, 2024 से पहले पूर्ण कराना सुनिश्चित करायें।

(5) पोर्टल पर प्रतिवेदक/समीक्षक/स्वीकर्ता अधिकारी के सहायतार्थ पृथक-पृथक DROP DOWN MENU में DO's तथा DO NOT की व्यवस्था एन० आई०सी० द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी।

(6) प्रविष्टियों के आनलाइन अंकन हेतु मानव सम्पदा पोर्टल पर निर्धारित प्रारूप अंग्रेजी के साथ-साथ एन० आई०सी० द्वारा हिन्दी भाषा में भी उपलब्ध होगा।

(7) यदि किसी विभाग में समूह 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों की प्रविष्टि ऑनलाइन दाखिल किये जाने की व्यवस्था पूर्व से लागू है, तो उनकी उक्त व्यवस्था यथावत रहेगी।

6- उत्तर प्रदेश राज्य की सेवा में कार्यरत समूह 'क' एवं 'ख' श्रेणी के समस्त अधिकारियों की वर्ष 2023-24 की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि अंकन हेतु उक्त निर्धारित समय सारिणी में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी तथा ऑफलाइन / अन्य किसी माध्यम से प्रविष्टि ग्राह्य नहीं होगी। उक्त के संबंध में यह अपेक्षा की जाती है कि पोर्टल के माध्यम से वार्षिक प्रविष्टियाँ ऑनलाइन दाखिल किये जाने हेतु उपरोक्त निर्धारित समय सारिणी का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। गोपनीय प्रविष्टि विषयक आदेशों के शेष प्रतिबन्ध यथावत् रहेगें।

यह आदेश तुरन्त प्रवृत्त होगा।

भवदीय,

(डॉ० देवेश चतुर्वेदी)
Digitally Signed by डॉ0
अपर मुख्य सचिव।
Date: 24-02-2024 12:57:04
Reason: Approved

संख्या एवं दिनांक तदैव-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।

2. अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
3. निजी सचिव, मा0 मंत्रिगण को, मा0 मंत्रिगण के सूचनार्थ।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव के सूचनार्थ।
5. प्रमुख सचिव विधान परिषद/विधान सभा, उत्तर प्रदेश।
6. रजिस्ट्रार जनरल, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
7. सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
8. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
9. सचिव, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।
10. निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
11. वेब अधिकारी/वेब मास्टर, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश।
12. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
संयुक्त सचिव।